

:: अनापीठ प्रमाण-पत्र ::

गोवाल, दिनांक 30-12-2002

- क्रमांक २५-75 /20-2/02 :: राज्य शासन तर्कपूर्ण शिक्षा एवं
- साक्षरता संस्थान ग्यालियर द्वारा संघालित तर्कपूर्ण संस्थान ग्यालियर
- द्वारा संघालित तर्कपूर्ण महाविद्यालय की निर्धारित नियमों के अंतर्गत
- सन् 2003-04 से बी. एड. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अनापीठ
- प्रमाण-पत्र प्रदान करता है।
2. यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
  - परिषद् क्षेत्रीय समिति, गोवाल से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  3. एन. टी. टी. ई. की मान्यता के अन्तर्गत एक कक्षा प्रो. एड. प्रमाणपत्र में प्रवेश प्रो. बी. एड. नियमावली के आधार पर प्रो. बी. एड. परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर दिया जायेगा। यदि नियम विरुद्ध प्रवेश दिया जाता है, तो उक्त तमस्त विद्यार्थी प्रवेश देने वाले महाविद्यालय की ओर एवं उक्त मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
  4. अनापीठ प्रमाण-पत्र के आधार पर दिया जाता है तब तक जोस के लिए राज्य शासन से कोई अनुदान एवं सहायता नहीं दी जायेगी।
  5. निर्धारित नतीजों की पूर्ति न कर सकने की स्थिति में अनापीठ प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

१ एम. एल. मरदरिया १  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

पुस्तक क्रमांक २५-75 /20-2/02 गोवाल, दिनांक 30-12-2002

- प्रतिक्रिया:-
1. ज्ञान, राज्य शिक्षा से-प्र, गोवाल।
  2. क्षेत्रीय तर्कपूर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् परिषद् क्षेत्रीय समिति, ग्यालियर शिक्षा, गोवाल।
  3. सचिव, तर्कपूर्ण शिक्षा एवं तमस्त संस्थान, ग्यालियर, का ओर अनुदान देना।

अवर सचिव-30/12/02  
मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग  
गोवाल

11/वर्मा/130120211